न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी भावना राघव गूर्जर, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 129/2018 दायरा दिनांक : 07.08.2018

उनवान

शिवकुंवर पत्नी गजेन्द्र सिंह, जाति राजपूत, निवासी रमायदलपत, तहसील पिडावाद्व जिला झालावाड़

.... अपीलांट

बनाम

1— ईश्वर सिंह आत्मज घीसू लाल, जाति राजपूत, निवासी रमायदलपत, तहसील पिडावा जिला झालावाड़

2— अनार सिंह आत्मज घीसू लाल, जाति राजपूत, निवासी रमायदलपत, तहसील पिडावा जिला झालावाड़

3— गजेन्द्र सिंह पुत्र शिवलाल, जाति राजपूत, निवासी रमायदलपत, तहसील पिडावा जिला झालावाड़

4— बृजराज सिंह पुत्र शिवलाल, जाति राजपूत, निवासी रमायदलपत, तहसील पिडावा जिला झालावाड़

5— योगेन्द्र सिंह पुत्र नन्दकुंवर व बृजराज सिंह, जाति राजपूत, निवासी रमायदलपत, तहसील पिडावा जिला झालावाड़ अवयस्क जरिये संरक्षक पिता बृजराज सिंह पुत्र शिवलाल, जाति राजपूत, निवासी रमायदलपत, तहसील पिडावा जिला झालावाड़

6— रविना कुंवर पुत्री नन्दकुंवर व बृजराज सिंह, जाति राजपूत, निवासी रमायदलपत, तहसील पिडावा जिला झालावाड़ अवयस्क जरिये संरक्षक पिता बृजराज सिंह पुत्र शिवलाल, जाति राजपूत, निवासी रमायदलपत, तहसील पिडावा जिला झालावाड़

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित — श्री राकेश जैन अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री बी एल माहेश्वरी अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय **दिनांक : 13.12.2019**

यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, पिडावा लोक अदालत केम्प रमायदलपत दिनांक 14.06.2018 के क्रम में प्रकरण संख्या – 30/2018/प्रार्थना पत्र निर्णय दिनांक 13.07.2018 अन्तर्गत धारा 251 (ए) लैण्ड रेवेन्यु एक्ट से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थी प्रतिपक्षी संख्या 1 ईश्वर सिंह संख्या 2 अनार सिंह ने एक प्रार्थना पत्र रास्ता दिलाये जाने बाबत अपीलांट के शामलाती खाते की आराजी खसरा नम्बर 625/397 रकबा 4 बीघा 11 बिस्वा ग्राम रमायदलपत तहसील पिडावा, जिला झालावाड में धारा 251 (ए) भू राजस्व अधिनियम प्रतिपक्षी संख्या 3 गजेन्द्र सिंह व 4 बृजराज सिंह के विरूद्ध पेश किया । अधीनस्थ न्यायालय ने लोक अदालत केम्प रमायदलपत प्रार्थी ईश्वर सिंह, अनार सिंह अप्रार्थी गजेन्द्र सिंह व बृजराज सिंह के मध्य राजीनामा करवाकर दिनांक 13.07.2018 को निर्णय पारित कर दिया । अपीलांट के खाते की शामलाती आराजी खसरा नम्बर 625/397 में रास्ता कायम करने हेतु निर्णय पारित किया व सभी खातेदारों को जिसमें अपीलांट व प्रतिपक्षी 3 व 4 तथा एक अन्य खातेदार नन्दकुंवर जिसकी मृत्यु हो चुकी है के नाम मुआवजा राशि 90180/– रूपये दिलाये जाने का रास्ते के बदले मुआवजा निर्धारित करने का आदेश दिया, जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील पेश की गई । अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि नन्दकुंवर की मृत्यु सन् 2016 में हो चुकी है । नन्दकुंवर मृतक के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित किया है । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटि पूर्ण है । मृतक व्यक्ति के विरूद्ध किसी भी प्रकार से कोई निर्णय पारित नहीं की जाती है । अपीलांट शिवकुंवर तथा प्रतिपक्षी संख्या 5 योगेन्द्र सिंह व रविना कुंवर अधीनस्थ न्यायालय में

प्रार्थना पत्र पर पक्षकार ही नहीं थे, जो व्यक्ति प्रकरण में पक्षकार ही नहीं होते उनके विरूद्ध किसी भी प्रकार का कोई निर्णय पारित नहीं किया जा सकता, न ही उन्हें कानूनन रूप से आदेश जारी कर किसी भी प्रकार से आबद्ध किया जा सकता है । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ, कानून और विधि के अनुरूप नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के खाते की आराजी खसरा नम्बर 625/397 जो कि एक काफी छोटी जोत है और कृषि योग्य है खेत के अन्दर रास्ता दिये जाने का आदेश देकर त्रुटि की है । 4 बीघा 11 बिस्वा कुल आराजी है जिसमें 4 खातेदार हैं । 1 बीघा और कुछ बिस्वा आराजी ही खातेदारों को काश्त हेतु मिलती है इतनी कम आराजी में रास्ता दिया जाना किसी भी तरह से तर्कसंगत व विधि सम्मत नहीं है । यह रास्ता अपीलांट की पूर्वी मेड पर भी दिया जा सकता था जिसमें प्रतिपक्षी के पास वाली आराजी में काफी बड़ी मेड़ खाली पड़ी हुई है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित लोक अदालत केम्प रमायदलपत दिनांक 14.06.2018 के क्रम में निर्णय दिनांक 13.07.2018 अन्तर्गत धारा 251 (ए) लैण्ड रेवेन्यु एक्ट अपास्त किया जावे ।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अपीलांट को आवश्यक पक्षकार बनाया जाना था जिसके अभाव में विधि मान्य निर्णय प्रक्रिया बाधित होती है, अतः अपील को रिमाण्ड किया जाना हम उचित समझते हैं ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.07.2018 अपास्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि सभी पक्षकारों को उचित सुनवाई व साक्ष्य का अवसर प्रदान कर विधि सम्मत निर्णय

पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 25.02.2020 को उपस्थित होवे ।

निर्णय आज दिनांक 13.12.2019 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भावना राघव गूर्जर)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा